

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: ०7 जुलाई, 2020

विषय:-कोविड-19 के दृष्टिगत लाकडाऊन अवधि में विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपलब्ध करायी गयी उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के भुगतान विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-221 मु.प्र.प्र.(संचा.)/कैम्प/2020-कोविड-19, दिनांक 09.06.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त लाकडाऊन अवधि में कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों से आश्रयहीन व्यक्तियों, प्रवासी मजदूरों आदि को उनके गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने में हुये व्यय रु० 103.24 करोड़ (रुपये एक अरब तीन करोड़ चौबीस लाख मात्र) की धनराशि निगम को भुगतान हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- (2) सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, द्वारा वास्तविक उपयोग में लायी गयी बसों के बारे में सत्यापन सुनिश्चित करते हुए सत्यापन आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे।
- (3) उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा जी0एस0टी0 की वास्तविक दर के आधार पर भुगतान किया जायेगा और जी0एस0टी0 18 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में अन्तर की धनराशि वापस की जायेगी।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

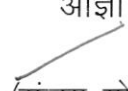
भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-285(1)/एक-10-2020-33(3)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।